न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद सं0 –21/2022 धारा– 144 द0प्र0सं0

हसनुल्लाह अंसारी बनाम आलीम अंसारी वगैरह

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

15/7/2023

अभिलेख उपस्थापित।

यह वाद थाना प्रभारी, रंका के अप्राथमिकी सं0– 03/2023 के द्वारा यह प्रकिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहदी			
				उ0	द0	पु0	प0
रंका कला	366	1933	0.08$\frac{1}{2}$ ए0	नीज प्रथम पक्ष	पक्की सड़क	नीज प्रथम पक्ष	मोहमदीन मियां

प्रथम पक्षकार का कहना है कि हसनुल्लाह अंसारी ने योगेश्वर प्रसाद सिंह पिता– रामेश्वर प्रसाद सिंह से निबंधित केवाला सं0– 8339 दिनांक 22.11.2000 द्वारा ग्राम– रका कला के खाता सं0– 311 प्लॉट सं0– 1413 रकबा– 1.00 ए0 चौहदी उ0– विकेता व बांध, द0– गौरक्षण प्रसाद सिंह व कच्ची सड़क, पु0– विकेता नीज, प0– हबीब शेख है। उक्त भूमि कय के बाद से लेकर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा एवं जोत–कोड़ होते आ रहा है। प्रथम पक्ष अपना केवाला दाखिल खारीज करने हेतु अंचल कार्यालय में दिया तथा प्रथम पक्ष हसनुल्लाह अंसारी के नाम से दाखिल खारीज होकर मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं0– 142/13 पर मांग कायम हुआ और मालगुजारी रसीद भुगतान करते आ रहे है।

हाल सर्वे में यह भूमि योगेश्वर प्रसाद सिंह प्रथम पक्ष के बिकीकर्ता के नाम से खाता सं0– 366 के अन्तर्गत खतियानी दर्ज है। हाल सर्वे प्लॉट सं0– 1933 का रकबा– 4.45 ए0 है। जिससे हसनुल्लाह अंसारी वर्ष 2000 में 1.00 ए0 तथा वर्ष 2023 में 0.35 ए0 भूमि को क्रय किया है। 1.00 ए0 भूमि प्रथम पक्ष का ऑनलाईन मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं0– 22 भॉल्यूम 17 पर चल रहा है एवं रसीद कटाते आ रहे है। यह कि द्वितीय पक्षकार इस खाता प्लॉट में जमीन नहीं है।

इनके द्वारा निबंधित केवाला से जमीन 0.08$\frac{1}{2}$ ए0 लिया गया है। परन्तु वह जिससे जमीन लिया है उनका न यह जमीन न ही उनका जमीन पर दखल कब्जा है। यह भूमि योगेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से खतियानी भूमि है। द्वितीय पक्ष जबरन निराधार दावा कर रहे है। प्रथम पक्ष का वर्तमान दखल कब्जा लगातार रहा है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि ग्राम रंका कला के पुराना सर्वे खाता सं0– 1433 जमींदारी काल में शशिकेश्वर प्रसाद सिंह की खास कब्जे की भूमि तथा उनके दखल कब्जे में लगातार चल रहा है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात शशिकेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा रिर्टन दाखिल किया गया। तदनुसार सरकार के सिरिश्ते में रैयती स्वीकार करते हुए उनके पुत्र गौरक्षण प्रसाद सिंह के नाम से मांग कायम किया गया । उक्त भूमि मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं0– 151/9 पर हो कर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होते आ रहा है। गौरक्षण प्रसाद सिंह उक्त भूमि हकदखल कब्जे मेंरहे थे वे अपने जीवन काल में ही पुराना सर्वे खाता सं0– 309 प्लॉट सं0– 1413 रकबा– 0.05$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि निबंधित केवाला सं0– 3217 दिनांक 31.08.1998 एवं केवाला सं0– 3226 दिनांक 31.08.1998 से पुराना खाता सं0– 309 प्लॉट सं0– 1413 का रकबा– 0.02$\frac{1}{2}$ ए0 द्वितीय पक्ष को विक्रय कर हक दखल अधिकार सौप दिया। विषय वस्तु वाली भूमि पर प्रथम पक्ष के सदस्य का कोई संबंध व सारोहकार नहीं है। विवादित भूमि लगातार केवाला के आधार पर द्वितीय पक्षकार का हक दखल में चला आ रहा है। परन्तु प्रथम पक्ष के सदस्य विवादित भूमि का अवैधानिक दस्तावेज नया सर्वे खतियान के आधार पर विवाद खड़ा करने के उदेश्य से जाली दस्तावेज तैयार किये है। जबकि प्रथम पक्ष को उचित विक्रता का कभी भी विवादित भूमि से कोई संबंध व सारोहकार नहीं रहा है।अतः धारा 144 द0प्र0स0 60 दिन पूर्ण हो गई है। इस लिए इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

13.7.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 12:54:36 +05:30
Location: 10.93.21.244